दिनांक:

संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत नागरिक कर्तव्य का पालन करना

सेवा,

विषय:भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-ए के तहत हमारे मौलिक कर्तव्यों को निभाने में आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करना, साथी नागरिकों को 1. कोविड 19 टीकाकरण और मास्क के बारे में भारत संघ की नीतियों के बारे में सूचित करना, 2. उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय, 3. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रही आपराधिक रिट याचिकाएं, 4. टीकाकरण और टीके और मास्क के साइड इफेक्ट लेने से पहले सूचित सहमति, 5. बच्चों के टीकाकरण के खतरे

सर/मैम,

1. हम खुद को संबंधित नागरिकों, वकीलों, डॉक्टरों और माता-पिता के विभिन्न समूहों के एक समूह के रूप में पेश करते हैं। आपको लिखकर हम देश के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण हासिल करने में समर्थन, सहयोग प्राप्त करने की आशा करते हैं।
2. हमें महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न आदेशों की प्राप्ति हो रही है, जिसमें टीका लगाए गए और गैर-टीकाकरण वाले व्यक्तियों के बीच अंतर किया गया है, जो विभिन्न सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाओं से वंचित करते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाते हैं।

3. श्री राजेश भूषण केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ने 25 फरवरी 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को खोलने के लिए विभिन्न उपाय करने के बारे में एक पत्र जारी किया। श्री अजय भल्ला गृह सचिव ने 23 मार्च 2022 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया था कि अब से एनडीएमए ने निर्णय लिया है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए अब से किसी भी प्राधिकरण के लिए डीएम अधिनियम लागू करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना अपराध होगा। दोनों परिपत्र इस लिंक पर उपलब्ध हैं।

   https://drive.google.com/drive/folders/138-wj51ekqXmfr50165hBxuzRiOVHIFn?usp=sharing

4. केंद्र सरकार के अपने रिकॉर्ड के अनुसार और जनवरी 2022 में आरटीआई के तहत आईसीएमआर द्वारा दी गई हालिया जानकारी के अनुसार और डब्ल्यूएचओ द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि यह स्पष्ट है कि टीकाकरण से संक्रमण नहीं रुकता है और इसलिए किसी भी व्यक्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके टीकाकरण की स्थिति। टीका लगाने वाले लोगों को कोरोना हो सकता है, वे संक्रमण फैला सकते हैं और वे कोरोना के कारण मर सकते हैं। टीकाकरण वाले लोग सुपर स्प्रेडर भी हो सकते हैं। कोई भी जनादेश जो टीकाकरण और बिना टीकाकरण के बीच भेदभाव करता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है और इसलिए वे असंवैधानिक, अवैध, शून्य और शून्य और विकृत हैं।

   सात उच्च न्यायालयों के निर्णय :-

   मैं। रजिस्ट्रार जनरल बनाम। मेघालय राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन मेघ 130

   ii. रे दिनथर हादसा बनाम. मिजोरम राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन गौ 1313

   iii. मदन मिली बनाम. भारत संघ 2021 एससीसी ऑनलाइन गौ 1503

   iv. ऑस्बर्ट खलिंग बनाम। मणिपुर राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन मणि 234

   v. डॉ अनिरुद्ध बाबर बनाम। नागालैंड राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन गौ 1504

   vi. इन-रे बनाम। नागालैंड राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन गौ 1506

   vii. फिरोज मिथिबोरवाला बनाम. महाराष्ट्र राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन बॉम 356

5. पहले से ही केंद्र सरकार ने लोकसभा के समक्ष अपने जवाब में, आरटीआई के तहत जवाब और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में भी विशेष रूप से उल्लेख किया है कि;

(i) टीका लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है।

(ii) व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(iii) किसी भी नागरिक को उसके टीकाकरण की स्थिति के आधार पर किसी भी लाभ या सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है।

6. हाल ही में 13 जनवरी, 2022 को भारत संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे में, जिसकी पुष्टि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त आयुक्त (यूआईपी) डॉ वीना धवन ने की है, यह एक बार फिर से है। स्पष्ट किया कि;

(मैं) टीकाकरण स्वैच्छिक है और किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध टीका नहीं दिया जा सकता है।

(ii) किसी भी प्राधिकारी को टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाने और दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(iii)किसी को भी टीका देने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को टीका देने वाले व्यक्ति/डॉक्टर द्वारा टीकों के प्रतिकूल दुष्प्रभावों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

7. आपराधिक रिट याचिका सं. 2021 के सेंट 18017 श्रीमती किरण यादव बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, याचिकाकर्ता के इकलौते बेटे, श्री हितेश कडवे, उम्र 23, टीके के साइड इफेक्ट के कारण मर गए, जो अनिच्छा से अधिकारियों द्वारा रखी गई शर्त के कारण उनके द्वारा लिया गया था। महाराष्ट्र राज्य कि, केवल टीकाकरण वाले लोग ही लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं या मॉल में प्रवेश कर सकते हैं और यह भी निर्देश दिया जाता है कि सभी निजी प्रतिष्ठानों के कार्यालय के कर्मचारियों को टीकाकरण किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मेडिकल छात्र डॉ स्नेहल लूनावत के पिता द्वारा दायर एक याचिका में 1,000 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी की मौत कोविड -19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण हुई।

https://www.livelaw.in/news-updates/bombay-high-court-covid-19-vaccine-death-due-to-side-effect-1-crore-compensation-190899

टीके के साइड इफेक्ट के कारण कई एईएफआई (आफ्टर इफेक्ट्स फॉलो इम्यूनाइजेशन) मौतें हुई हैं। साथ ही यह झूठे आख्यानों को भी खारिज करता है कि टीके 110% सुरक्षित हैं।

भारत में युवा वयस्कों में भी कोविड टीकाकरण के बाद कई मौतें हुई हैं और निम्न लिंक मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार कोविड टीकाकरण के बाद 12,586 से अधिक मौतों की सूची प्रदान करता है।https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view

8. कोविड -19 टीकों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा डेटा की कोई उपलब्धता नहीं है, क्योंकि टीकों को तेजी से विकसित किया गया था, एक नई प्रयोगात्मक तकनीक का उपयोग करके और उनका उपयोग आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि यह एक सतत वैश्विक नैदानिक परीक्षण लंबित पूर्ण एफडीए है। अनुमति। जबकि, कोविड -19 को कम करने के लिए सुरक्षित तरीके हैं, जैसे आयुष द्वारा अनुमोदित आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल, आनंदैया का प्रोटोकॉल और कोविद -19 के लिए होम्योपैथिक प्रोटोकॉल।

https://drive.google.com/file/d/1Hl76y7BwU8i57z5Z3xk8XbPvMzG366II/view?usp=sharing

9. यह देखने के लिए कि कोविड -19 टीकों के दुष्प्रभाव कितने विनाशकारी और जानलेवा हैं, कृपया इन चरणों का पालन करें > पर जाएँwww.vigiaccess.org > पृष्ठ के निचले भाग तक स्क्रॉल करें और क्लिक करें - 'मैं समझता हूं' > 'खोज' पर क्लिक करें Database' और 'Covid-19 Vaccine' टाइप करें और Search > ADRs पर क्लिक करें फिर इसके विवरण के लिए प्रत्येक एडीआर पर क्लिक करें।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 'सूचित सहमति' का कड़ाई से पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान नैतिकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। प्रायोगिक चिकित्सा खराबी गंभीर कानूनी देनदारियों को वहन करती है। सूचित सहमति वह आधार सिद्धांत है जिस पर अधिकांश आधुनिक अनुसंधान नैतिकता टिकी हुई है... यह नूर्नबर्ग कोड के पहले शब्दों में बताए गए महत्वपूर्ण नैतिक प्रावधान के केंद्र में है, और यह आधी सदी बाद भी समान रूप से सम्मोहक बना हुआ है। नूर्नबर्ग कोड में निहित सिद्धांत निम्नलिखित अस्तित्व में आए: नाजी शासन के दौरान जैविक युद्ध अपराधों में भाग लेने वालों के श्रमसाध्य परीक्षण। ये कोड हमारी शारीरिक अखंडता की रक्षा के लिए बनाए गए थेhttps://bioethics.nih.gov/sites/nihbioethics/files/bioethics-files/courses/pdf/2012/Grady2.pdf

जापान अब मायोकार्डिटिस जैसे खतरनाक और संभावित घातक दुष्प्रभावों की चेतावनियों के साथ कोविड

के टीके को लेबल कर रहा है।देश 'सूचित सहमति' और प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संभावित दुष्प्रभावों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

10. यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉमन कॉज बनाम में निर्धारित कानून के अनुसार है। भारत संघ (2018) 5SCC 1 आरोपी लगाने के लिए अधिकृत नहीं थे शिकायतकर्ता से कोई प्रश्न कि उसने टीका क्यों नहीं लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य कारण के मामले में (सुप्रा) कानून को निम्नानुसार स्पष्ट किया;

> *"202.8. सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों की जांच से पता चलता है कि सभी* ***सहमति की क्षमता वाले वयस्कों को आत्मनिर्णय और स्वायत्तता का अधिकार है। उक्त अधिकार चिकित्सा उपचार से इंकार करने के अधिकार का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसे सार्वभौमिक मान्यता मिली है। एक सक्षम व्यक्ति जो उम्र का हो गया है, उसे विशिष्ट उपचार या सभी उपचार से इनकार करने या वैकल्पिक उपचार का विकल्प चुनने का अधिकार है, भले ही इस तरह के निर्णय में मृत्यु का जोखिम हो।***
>
> *202.9. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार तब तक व्यर्थ है जब तक कि यह अपने दायरे में व्यक्तिगत गरिमा को शामिल न करे। समय बीतने के साथ, इस न्यायालय ने* ***जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के घटक के रूप में गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के स्पेक्ट्रम का विस्तार किया।***
>
> *306. व्यक्तिगत स्वायत्तता के अलावा, मानव के अन्य पहलू गरिमा, अर्थात्, "आत्म-अभिव्यक्ति" और "निर्धारण का अधिकार" भी इस तर्क का समर्थन करते हैं कि यह प्राप्त करने के लिए रोगी की पसंद है* ***या उपचार प्राप्त नहीं करने के लिए। "***

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार

> "4.1 जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं है, वे मास्क का उपयोग न करें ***मेडिकल मास्क का उपयोग स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं****क्योंकि यह सुरक्षा की झूठी भावना पैदा करता है जिससे अन्य आवश्यक उपायों की उपेक्षा हो सकती है**जैसे हाथ धोना। इसके अलावा, समुदाय में गैर-बीमार व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग करने के*

स्वास्थ्य लाभ को दर्शाने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वास्तव में, मास्क का गलत उपयोग या डिस्पोजेबल मास्क का 6 घंटे से अधिक समय तक लगातार उपयोग या एक ही मास्क के बार-बार उपयोग से वास्तव में संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। इसमें अनावश्यक खर्च भी होता है।"

12. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 तारीख को एक आरटीआई का जवाब दिया **मई 2021** श्री सौरव बायसैक को इस प्रकार है:

"प्रश्न 1: क्या फेस मास्क सभी के लिए अनिवार्य है?

जवाब:*MoHFW द्वारा जारी किए गए विभिन्न SOPs/दिशानिर्देशों में सभी को मास्क/फेस कवर का उपयोग करने की सलाह दी गई है। हालांकि इन दिशानिर्देशों/एसओपी के अनुसार इसका उपयोग स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं किया गया है।''*

13. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 14 सितंबर 2021 को श्री विजय रामदास ताठे को एक आरटीआई का जवाब दिया:

"प्रश्न 2: कृपया वैज्ञानिक अध्ययन और प्रमाण प्रदान करें जो हमें बताए कि मास्क पहनने से कोरोनावायरस का प्रसार नहीं होता है?

उत्तर: इस विषय पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है और इसलिए जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है।"

14. 09 जनवरी 2022 को अमित चौहान को दी गई एक आरटीआई पर आईसीएमआर की प्रतिक्रिया इस प्रकार है:

"प्रश्न 1: क्या भारत में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि 6 फीट की शारीरिक दूरी कोविड-19 के संचरण को रोक सकती है?"

"प्रश्न 2: क्या भारत में यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है कि कोविड 19 के संबंध में सैनिटाइज़र सुरक्षित और प्रभावी है?"

"प्रश्न 3: क्या भारत में यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है कि लॉकडाउन कोविड 19 के संचरण की श्रृंखला को तोड़ सकता है?"

"उत्तर: प्वाइंट नं। 1, 2, 3) ICMR ने इस तरह के अध्ययन नहीं किए हैं"

15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 14 जनवरी 2022 को श्री श्रीकांत आरजी को एक आरटीआई का जवाब दिया:

"प्रश्न 1: कोरोना कोविड-19 को एक संक्रामक रोग के रूप में निष्कर्ष और घोषित करने के लिए किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों के साक्ष्य दस्तावेज।

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 2: भारत सरकार या ICMR या NIV द्वारा कोरोना कोविड -19 वायरस का पता लगाने के लिए किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों के साक्ष्य दस्तावेज और यह समुदाय में कैसे फैलता है?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 4: यह साबित करने के लिए किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों के साक्ष्य दस्तावेज प्रदान करें कि फेस मास्क पहनने से व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता कम हो सकती है और सामाजिक दूरी संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकेगी या कम करेगी?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 5: यह साबित करने के लिए किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से रिपोर्ट और सबूत कि अगर कोरोना कोविड -19 एक संक्रामक बीमारी है, तो यह उन लोगों द्वारा संचरित या कम संचरित नहीं होती है जिन्हें टीका लगाया गया है और यह केवल उन लोगों द्वारा संचरित या तेजी से फैलता है जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 6: क्या यह बताने के लिए कोई कानून पारित किया गया है कि कोविड-19 का टीका अनिवार्य है?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 8: यदि वैक्सीन को सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जो टीका लगाया जाता है वह कोरोना संक्रमण की एक और घटना से 100 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करता है।

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 9: क्या आईसीएमआर या एनआईवी या एमओएचएफडब्ल्यू या कोई सरकारी या निजी वैक्सीन कंपनियां या निकाय वैक्सीन लेने के बाद प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए मुआवजा या बीमा प्रदान करते हैं?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 10: क्या किसी को कोविड-19 से संक्रमित होने से बचाने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, यदि हाँ, तो कृपया वैज्ञानिक अध्ययन या चिकित्सा अनुसंधान या आईसीएमआर या एनआईवी या एमओएचएफडब्ल्यू या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा किए गए प्रयोगों का विवरण या परिणाम प्रदान करें ताकि यह साबित हो सके कि मास्क पहनने से कोविड 19 को फैलने से रोका जा सकता है?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

प्रश्न 11: क्या स्वस्थ व्यक्ति के लिए देश के भीतर या देश के बाहर यात्रा करने के लिए एक RTPCR और एक रैपिड PCR परीक्षण अनिवार्य है?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

"प्रश्न 12: यदि हाँ (उपरोक्त प्रश्न 11 का उल्लेख करते हुए) कृपया किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन या चिकित्सा अनुसंधान या आईसीएमआर या एनआईवी या एमओएचएफडब्ल्यू या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा किए गए प्रयोगों का विवरण प्रदान करें ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि आरटीपीसीआर और रैपिड पीसीआर परीक्षण निश्चित रूप से मदद करते हैं। कोविड 19 संक्रमण की पहचान?

उत्तर: यह हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसलिए, इस जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है।"

16.04.03.2022 को श्री अंबर कोईरी द्वारा दायर अपील के जवाब में आईसीएमआर ने आरटीआई क्वेरी के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है:

आरटीआई प्रश्न: यह साबित करने के लिए किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से रिपोर्ट और सबूत कि अगर कोरोना कोविड -19 एक संक्रामक बीमारी है, तो यह उन लोगों द्वारा दूसरों को संचरित नहीं किया जाता है जिन्हें टीका लगाया गया है और यह केवल उन लोगों द्वारा संचरित या तेजी से फैलता है जिन्हें नहीं किया गया है टीका लगाया।

उत्तर: ICMR ने टीकाकृत बनाम असंक्रमित व्यक्तियों में SARS-CoV-2 की संचरण क्षमता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। इसलिए, अनुरोधित जानकारी आईसीएमआर के पास उपलब्ध नहीं है।

17. आरटीआई के उपरोक्त उत्तरों से यह स्पष्ट है कि किसी भी प्राधिकारी के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मास्क, सैनिटाइज़र, 6 फीट की दूरी, लॉकडाउन के उपयोग से कोविड 19 को फैलने से रोका जा सकता है।

इसके अलावा कृपया शीर्षक से समाचार लेख देखें:

47 अध्ययन COVID के लिए मास्क की अप्रभावीता की पुष्टि करते हैं और 32 और उनके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की पुष्टि करते हैं

https://www.lifesitenews.com/news/47-studies-confirm-inefectiveness-of-masks-for-covid-and-32-more-confirm-their-negative-health-effects/?fbclid=IwAR1ksLTTglmF31y90NjCW3vjUo_CHLG5v2ocZEdf7ghw1gUo_CHLG5v2ocZEdf7ghw

18. 2020 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1546 में, औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच, जहां मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, को रद्द कर दिया गया था। 19.01.2022 को अदालत ने निम्नानुसार फैसला सुनाया:

> *"14. वर्तमान मामले में, मुखबिर यानी प्रतिवादी नंबर 2 एक लोक सेवक नहीं है जैसा कि आईपीसी की धारा 186 में विचार किया गया था, वह केवल उस दस्ते का सदस्य था जिसे प्रासंगिक समय पर कोविड - 19 के प्रसार में निषेधात्मक उपाय करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, प्राथमिकी से ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह निगम, औरंगाबाद में केवल ठोस अपशिष्ट विभाग में कार्यरत था। इसके अलावा, कथित घटना के समय वह लोक सेवक के किसी भी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था, बल्कि केवल कोविड -19 के प्रसार के दौरान एहतियाती उपाय करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह नगर निगम, औरंगाबाद के आयुक्त का प्रशासनिक अधीनस्थ भी नहीं था, जिसने विषय के तहत आदेश जारी किया था। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 195 (1) के तहत बार तत्काल मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है, और इस प्रकार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,*
>
> *15. इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और चर्चा के संबंध में, हमारी राय है कि वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 और 188 के तहत शुरू किया गया आपराधिक मुकदमा धारा 195 के तहत*

विशिष्ट बार को देखते हुए रद्द किए जाने योग्य है। 1) सीआरपीसी के अनुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं।

गण

(i) प्रार्थना खंड [ए] के संदर्भ में आपराधिक रिट याचिका की अनुमति है।

(ii) उपरोक्त शर्तों में नियम को निरपेक्ष बनाया गया है।

(iii) तदनुसार आपराधिक रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

19. पुलिस भी बड़े पैमाने पर और निंदनीय रूप से आईपीसी की धारा 269 का उपयोग आम जनता को पैसे निकालने के लिए परेशान करने के लिए कर रही है, जब किसी भी प्राधिकरण के पास कोई सबूत नहीं है कि किसी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना कोरोनावायरस के प्रसार को रोकता है।

20. राज्य सरकार के अवैज्ञानिक, अवैध कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले लोगों को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने कोविड दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वस्थ लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए और राज्य सरकार के परिपत्र या दिशानिर्देश इसके खिलाफ नहीं जा सकते। केन्द्रीय सरकार। आपदा प्रबंधन अधिनियम जुर्माना वसूलने की परिकल्पना नहीं करता है इसलिए कोई भी आदेश या दिशानिर्देश जो जुर्माना वसूलने का निर्देश देता है वह अवैध और अल्ट्रा वायर्स है और इसे रद्द किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नंदिनी सत्पथी बनाम के मामले में निर्धारित निर्णय के अनुसार। पीएल दानी(1978) 2 एससीसी 424, पुन: एमपी द्विवेदी (1996) 4 एससीसी 152 किसी भी प्राधिकरण को केवल कानूनी दिशा-निर्देशों/एसओपी/सरकार के आदेशों का पालन करना होता है, न कि अवैध दिशा-निर्देशों/एसओपी/आदेशों का।

21. नागरिक जिन पर इस तरह के अवैज्ञानिक, अवैध कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए ऐसी तुच्छ, आधारहीन प्राथमिकी / आरोप पत्र दायर किया गया है और उन्हें मानसिक यातना, व्यापार की हानि, आय की हानि आदि का सामना करना पड़ा है, वे अदालत में प्रार्थना कर सकते हैं

(i) ऐसी प्राथमिकी का निर्वहन, रद्द करना

(ii) सीआरपीसी की धारा 340 के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी, सरकारी प्लीडर, मार्शल और उन अधिकारियों पर मुकदमा चलाना, जिन्होंने आईपीसी 211, 220, 109, 120बी, 341, 342 के तहत उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए ऐसे अवैध आदेश जारी किए।

22. हमने अवेकन इंडिया मूवमेंट में स्कूल के प्रधानाध्यापकों, प्रशासकों और अन्य अधिकारियों के लिए दायित्व पत्र जारी किया है, जिससे बच्चों को प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस तरह उनके जीवन को खतरे में डाल दिया गया है।

23. इंडियन बार एसोसिएशन ने भी अधिवक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक दस्तावेज जारी किया है। दीपाली ओझा ने बच्चों को टीका लगाने के वैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं को स्पष्ट रूप से बताया। यह दस्तावेज़ 'सूचित सहमति' के कानून को रेखांकित करता है और स्कूल प्राधिकरण, प्रधानाचार्य आदि पर दायित्व तय करता है जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और बच्चों को प्रयोगात्मक कोरोना टीका लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इस तरह अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।

24. जागृत भारत आंदोलन (एआईएम) ने 04.02.2022 तक भारत में मीडिया/सोशल मीडिया द्वारा कवर किए गए कोविड वैक्सीन से होने वाली मौतों का विवरण हमारे देश के विभिन्न उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। **भारत में वैक्सीन से होने वाली मौतों को मीडिया ने कवर किया! पीड़ित तक फ़ाइल अपडेट की गई**#12586
https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view?usp=sharing

भारत में बच्चों के टीके से होने वाली मौतों को मीडिया द्वारा कवर किया गया! पीड़ित #20 . तक फ़ाइल अपडेट की गई
https://docs.google.com/document/d/1LZJDp-ub6BfVt-nnc8daISgemhkRieQG/edit?usp=sharing&ouid=103856627695944525595&rtpof=true&sd=true

25. इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत में COVID-19 के लिए उद्देश्यपूर्ण परीक्षण रणनीति पर अपनी सलाह (संस्करण VII, दिनांक 10 जनवरी 2022) में कहा है कि किसका परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए:

"जिन लोगों को परीक्षण की आवश्यकता नहीं है:

1. सामुदायिक सेटिंग में स्पर्शोन्मुख व्यक्ति

2. COVID-19 के पुष्ट मामलों के संपर्क जब तक कि उम्र या सह-रुग्णता के आधार पर उच्च जोखिम के रूप में पहचाने न जाएं

3. होम आइसोलेशन दिशा-निर्देशों के अनुसार डिस्चार्ज होने वाले मरीज

4. संशोधित डिस्चार्ज नीति के अनुसार मरीजों को कोविड-19 सुविधा से छुट्टी दी जा रही है

5. अंतर-राज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले व्यक्ति"

इसलिए स्वस्थ व्यक्तियों पर उनकी सहमति के विरुद्ध RTPCR परीक्षण करने के लिए बल या जबरदस्ती का प्रयोग करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

26. लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों से प्रभावित कोई भी व्यक्ति यू/सेक मुआवजे के लिए फाइल कर सकता है। 2 महामारी रोग अधिनियम, 1897 और धारा। उसे हुए नुकसान के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के 12.

27. उपरोक्त घटनाक्रमों के आलोक में हम साथी नागरिकों को उनके अधिकारों और चल रहे विकास के बारे में सूचित करना अपना कर्तव्य समझते हैं आम नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। अनिरुद्ध बहल बनाम राज्य 2010 (119) डीआरजे 102 के मामले में एसएन ढींगरा जे द्वारा हमारे इरादों को पुष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:

"अनुच्छेद 51ए (एच) के तहत एक नागरिक का कर्तव्य जांच और सुधार की भावना विकसित करना है। इस देश के नागरिकों का एक स्वच्छ और अविनाशी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और अन्य अंगों का मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है

कि वह जहां कहीं भी भ्रष्टाचार को उजागर करे। भारत का संविधान नागरिकों को भ्रष्टाचार को बाहर लाने और बेनकाब करने और उखाड़ फेंकने के लिए एजेंट उत्तेजक के रूप में कार्य करने का आदेश देता है"।

आगे सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन बनाम जैन **(2010) 8 एससीसी 281**,यह निम्नानुसार शासित है;

"बेईमान याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई अवमानना की शक्ति का उपयोग करके सत्य को चुप नहीं होने दिया जाना चाहिए - न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उजागर करना कला के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 51 - भारत के संविधान का ए (एच) - सत्य और असत्य को पकड़ें - जो कोई भी जानता है कि सच्चाई को बदतर के लिए, एक स्वतंत्र और खुले मुठभेड़ में - सत्य मजबूत है, सर्वशक्तिमान के बगल में; उसे विजयी बनाने के लिए किसी नीति, किसी रणनीति, किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है; वे बदलाव और बचाव हैं जो त्रुटि उसकी शक्ति के खिलाफ करती है। ''

28. नागरिकों को उपर्युक्त तथ्यों और घटनाक्रमों के बारे में सूचित करने के लिए हम कोविड वैक्सीन केंद्रों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, हाउसिंग सोसाइटियों, बाजारों में सूचना अभियान चलाएंगे और मुंबई और मुंबई उपनगरीय क्षेत्रों में उपरोक्त जानकारी देंगे।

सूचना अभियान में भाग लेने और/या हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको यह हमारा नोटिस है कि कोई हमें बाधित करने का प्रयास न करे।

सादर

जागृत भारत आंदोलन दल